बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक 02.11.2026

संख्या–08/मु०–04–35/2024–1158/निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के धावादल के द्वारा दिनांक 07.02.2023 को श्री संजीव कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, टिकारी, गया–सम्प्रति–सेवानिवृत्त को रिश्वत लेते रंगे–हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश ज्ञापांक 93 दिनांक 13.02.2023 द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि 07.02.2023 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CR/Misc No.-34358/2023 में दिनांक 03.07.2023 को पारित आदेश के आलोक में जमानत पर रिहा होने के उपरांत श्री संजीव कुमार द्वारा दिनांक 07.07.2023 को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग के कार्यालय में योगदान किया गया। तदालोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 622 दिनांक 21.07.2023 द्वारा श्री कुमार के दिनांक 07.07.2023 को दिए गए योगदान को स्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 9(3)(ii) के तहत श्री कुमार को दिनांक 07.07.2023 के प्रभाव से उन्हें पुनः निलंबित किया गया। उक्त आदेश द्वारा निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय में निर्धारित किया गया तथा नियमानुसार जीवन–निर्वाह भत्ता अनुमान्य किया गया।

3. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया के पत्रांक 580 दिनांक 10.04.2023 एवं पत्रांक 439 दिनांक 22.04.2024 के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 455 दिनांक 11.06.2024 द्वारा आरोपी पदाधिकारी, श्री कुमार के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित करते हुए श्री कुमार से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री कुमार द्वारा लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन की समीक्षा के उपरान्त आरोप की गम्भीरता को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के तहत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 973 दिनांक 25.10.2024 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी।

4. श्री कुमार के विरूद्ध निर्गत विभागीय निलंबन आदेश ज्ञापांक–622 दिनांक 21.07.2023 एवं दिनांक 10.06.2024 को गठित आरोप–पत्र को निरस्त करने हेतु श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद सं0–16860/2024 दायर किया गया।

5. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 10.02.2026 को न्यायादेश पारित किया गया। उक्त न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"4. In that view of the matter, the present writ petition is disposed off granting liberty to the petitioner to prefer appeal under Rules 23 and 24 of the CCA Rules, 2005 within 30 days from today."

6. उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री कुमार द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। प्राप्त अपील अभ्यावेदन पर दिनांक 28.10.2026 को सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष रखा गया तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से संबंधित पदाधिकारी द्वारा पक्ष रखा गया।

7. उक्त सुनवाई में अपीलार्थी, श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा रखे गए पक्ष एवं अपील आवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CR/Misc No.-34358/2023 में दिनांक 03.07.2023 को पारित आदेश के आलोक में जमानत पर रिहा होने के उपरांत श्री संजीव कुमार द्वारा दिनांक 07.07.2023 को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग के कार्यालय में योगदान किया गया। तदालोक मे प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 622 दिनांक 21.07.2023 द्वारा उनके योगदान को स्वीकृत करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 07.07.2023 के प्रभाव से उन्हें पुनः निलंबित किया गया तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 973 दिनांक 25.10.2024 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में अंकित है कि आरोपी पदाधिकारी को बचाव अभिकथन समर्पित करने हेतु काफी समय दिया गया लेकिन बचाव अभिकथन अध्यावधि अप्राप्त रहा है। तदालोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की पुनः माँग की गयी है।

विभागीय आदेश ज्ञापांक 313 दिनांक 27.02.2026 द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2026 के प्रभाव से उन्हें निलंबन मुक्त किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

8. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 17796 दिनांक 21.09.2023 की कंडिका–4(ii) में स्पष्ट किया गया है कि यदि नियम–9 के उप–नियम–(1)(क) या (ख) या (ग) के अधीन सरकारी सेवक को पुनः निलंबित करने का निर्णय लिया जाता है तो नियम–9(3)(i) के अनुसार योगदान स्वीकार करने के बाद अलग से आदेश निर्गत कर उन्हें निलंबित किया जा सकेगा। इस प्रकार किया गया निलंबन भूतलक्षी (Retrospective) प्रभाव से नहीं किया जायेगा बल्कि उक्त निलंबन आदेश निर्गत करने की तिथि से होगा। साथ ही उक्त पत्रांक की कंडिका–4(iii) में स्पष्ट किया गया है कि नियम–9(3)(i) के तहत योगदान स्वीकृति की तिथि से पुनः निलंबित किये जाने की तिथि के पूर्व की तिथि तक की अवधि का पूर्ण वेतनादि का भुगतान संबंधित सरकारी सेवक को किया जायेगा।

9. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध गंभीर मामले यथा रिश्वत लेते रंगे–हाथों गिरफ्तार होने के मामले में अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा उन्हें विभागीय आदेश ज्ञापांक 313 दिनांक 27.02.2026 द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2026 के प्रभाव से उन्हें निलंबन मुक्त किया जा चुका है।

10. अतः सम्यक् समीक्षोपरान्त आरोपी पदाधिकारी, श्री संजीव कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, टिकारी, गया–सम्प्रति–सेवानिवृत्त को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 17796 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 622 दिनांक 21.07.2023 द्वारा श्री कुमार के निलंबन की तिथि 07.07.2023 को आदेश निर्गत की तिथि 21.07.2023 से प्रतिस्थापित किया जाता है। तदनुसार श्री कुमार को उनके द्वारा दिए गए योगदान की तिथि दिनांक 07.07.2023 से दिनांक 20.07.2023 तक की अवधि पूर्ण वेतनादि के रूप में अनुमान्य किया जाता है। उक्त अवधि का भुगतान इनके अंतिम पदस्थापन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, टिकारी, गया से होगा। इनके निलंबन अवधि पर निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इनके विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही के निष्पादन के उपरान्त लिया जायेगा।

11. इसके साथ ही इस मामले को निस्तारित किया जाता है।

30/10/26

(राजीव रौशन)
सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–08/मु०–04–35/2024–1158 पटना, दिनांक 02.11.2026

प्रतिलिपिः–सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा (प्रशाखा–17), शिक्षा विभाग/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, गया/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, गया/जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), वैशाली एवं गया/श्री संजीव कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, टिकारी, गया–सम्प्रति–सेवानिवृत्त, स्थायी पता–ग्राम–लहेरिया बाजार, वार्ड नं०–03, मुरलीधर कुआँ के नजदीक, दलसिंह सराय, समस्तीपुर–848114, मो०–9570869103 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

30/10/26

सचिव, शिक्षा विभाग।